


08/09/20

प्राचीन के वकील उपस्थित। पत्रावली का
अवलोकन किया। प्राचीन ने यह मुन्सिफ़ी
प्राचीन पत्र श्री विनोद कुमार मीन NCEM नदकर
के विरुद्ध पेश किया है। तत्कालीन पीठासीन
अधीकारी श्री विनोद कुमार मीन की कसूर
समानान्तर ही होने के कारण प्राचीन को यह
मुन्सिफ़ी प्राचीन पत्र प्रभावहीन (Infructuous)
होने से इसी Stage पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल शुमा लेका बाद जमीन दाख़ल


जिम्मा कलकत्ता
भारतपुर (सफ़ा)